भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या – *249
उत्तर देने की तारीख -10 / 03/ 2026

दिव्यांगजनों का पुनर्वास

*249. श्री नारायणदास अहिरवार :

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बढ़ती महंगाई के कारण आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के दिव्यांगजनों की स्थिति अत्यंत दयनीय होती जा रही है और वे पर्याप्त पोषण, शिक्षा तथा सरकारी योजनाओं के वांछित लाभ प्राप्त करने में असमर्थ हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश सहित राज्यों में दिव्यांगजनों को प्रदान की जा रही लगभग एक हजार रूपये प्रति माह की वर्तमान पेंशन/भरण-पोषण धनराशि को बढ़ाकर पांच हजार रूपये प्रति माह करने का है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार का विचार दिव्यांगजनों के घरेलू बिजली बिलों पर पचास प्रतिशत की छूट प्रदान करने तथा उनके पुनर्वास और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए कंद्र-राज्य स्तर पर विशेष भर्ती अभियान शुरू करने का है; और
(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री
(डॉ. वीरेंद्र कुमार)

(क) से (घ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 10 मार्च, 2026 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 249 के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क): सरकार समाज के कमजोर वर्गों से आने वाले दिव्यांगजनों को समर्थन देने के महत्व को स्वीकार करती है। शिक्षा के क्षेत्र में सहायता प्रदान करने के लिए सरकार "दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना" संचालित करती है, जिसके माध्यम से उन दिव्यांग बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से 8 लाख रुपये के बीच है।

इसके अतिरिक्त, सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता की योजना (एडिप) के अंतर्गत कम आय वाले ऐसे दिव्यांगजनों को, जिनकी मासिक आय 30,000 रुपये से अधिक नहीं है, रियायती दर पर अथवा निःशुल्क सहायक उपकरण प्रदान किए जाते हैं ।

इसके अलावा, दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना (डीडीआरएस) के अंतर्गत सभी आर्थिक वर्गों के दिव्यांगजनों को समुदाय आधारित पुनर्वास की विभिन्न सेवाएं जैसे प्रारंभिक हस्तक्षेप, विशेष शिक्षा, दैनिक जीवन कौशल के विकास के लिए सहायता, व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि प्रदान किए जाते हैं।

(ख): राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्रों में, लाभार्थियों की श्रेणी में भेदभाव किए बिना, समाज के उन अत्यंत कमजोर व्यक्तियों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं । इस योजना के घटकों में से एक इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगता पेंशन योजना (आईजीएनडीपीएस) है।

आईजीएनडीपीएस के तहत 18 से 79 वर्ष की आयु के लाभार्थियों के लिए 300/- रूपये प्रति माह और 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के लाभार्थियों के लिए 500/- रूपये प्रति माह की केंद्रीय सहायता दी जाती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता राशि के बराबर या उससे अधिक की अतिरिक्त राशि प्रदान करें ताकि लाभार्थियों को सम्मानजनक स्तर की सहायता मिल सके। वर्तमान में विभिन्न राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, दिव्यांगता पेंशन योजना के तहत प्रति लाभार्थी भिन्न भिन्न अतिरिक्त राशि जोड़ (टॉप-अप कर) रहे हैं।

वर्तमान में, एनएसएपी के तहत केंद्रीय सहायता के दायरे / दर में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) से (घ): घरेलू बिजली बिलों पर किसी विशेष श्रेणी के उपभोक्ताओं को छूट देने का मामला राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है।

भारत सरकार ने 'पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना' शुरू की है, जिसका उद्देश्य सब्सिडी वाले रूफटॉप सोलर पैनल लगाकर घरों को नि:शुल्क बिजली प्रदान करना है, जिससे उनकी ऊर्जा लागत में काफी कमी आती है।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत सरकारी रोजगार में बेंचमार्क दिव्यांगजनों के लिए न्यूनतम 4 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। केंद्र सरकार ने चिन्हित पदों में पदोन्नति में भी 4 प्रतिशत आरक्षण अनिवार्य किया है। विभाग ने केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों के तहत बेचमार्क दिव्यांगजनों के लिए चिन्हित लगभग 3500 प्रकार के पदों की एक सांकेतिक सूची जारी की है तथा सभी केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के लिए पद पहचान संबंधी दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं ताकि आरक्षण के प्रावधानों का प्रभावी और एक समान कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

****